# प्रेस विज्ञप्ति

## 18/06/2026

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय कार्यालय) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चल रहे एक मामले के संबंध में मुंबई एवं दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है। तलाशी के दौरान जिन परिसरों को शामिल किया गया, उनमें सुरक्षा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के कार्यालय/परिसर शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) द्वारा मेसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच प्रारंभ की, जिसमें लगभग ₹200 करोड़ के अवैध रूप से प्राप्त ऋण तथा उसके निर्धारित प्रयोजनों से संबंधित आरोप शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रवर्तक राकेश कुमार वाधवान एवं सारंग वाधवान ने यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राणा कपूर के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए वर्ष 2011 से 2016 के दौरान मेसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएसएमपीएल) के नाम पर लगभग ₹200.30 करोड़ के छह सावधि ऋण धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त किए। उक्त ऋण राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए किए जाने के स्थान पर एचडीआईएल समूह की संस्थाओं की देनदारियों के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त, एमएसएमपीएल की कई संपत्तियों को अभियुक्तों के सहयोगियों के नाम हस्तांतरित किए जाने का भी आरोप है।

आगे की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राणा कपूर ने एमएसएमपीएल ऋण की प्राप्त राशि को एचडीआईएल की देनदारियों की ओर विपथित करने में सहायता की तथा ऋण खाते का समयपूर्व हस्तांतरण सुरक्षा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एसएआरसी) को कराकर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति को कृत्रिम रूप से पुनर्संरचित करने का प्रयास किया। यह भी पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सुरक्षा एआरसी ने यस बैंक द्वारा हस्तांतरित दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के एक बड़े भाग का अधिग्रहण किया, जिसमें एमएसएमपीएल का ऋण खाता भी सम्मिलित था। इसी अवधि में यस बैंक द्वारा विभिन्न वालिया समूह की संस्थाओं को ऋण सुविधाएँ प्रदान की गईं तथा यह संदेह व्यक्त किया गया है कि उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुरक्षा एआरसी द्वारा इन ऋण खातों के अधिग्रहण हेतु आवश्यक नकद मार्जिन की पूर्ति में किया गया। इसके अतिरिक्त जांच में अन्य अनियमितताएँ भी पाई गई हैं।

तलाशी की कार्रवाई के दौरान ₹50 लाख नकद, 10 किलोग्राम चांदी के बार, बैंक लॉकर तथा कई आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।

जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि समूह की विभिन्न संस्थाओं के बीच अनेक चक्रीय (सर्कुलर) लेनदेन किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ यस बैंक के ऋणों को शामिल किया गया, तथा जिन्हें एआरसी द्वारा किए गए नकद मार्जिन भुगतान के रूप में प्रदर्शित कर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को तरलता-आधारित एवं ब्याज-रहित रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया।

आगे की जांच जारी है।